न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस

अपील संख्या 21/2016

1. सतीश कुमार पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार
2. अशोक कुमार पुत्र हरीचन्द जाति अरोडा
3. सूर्यादेवी पत्नी सतपाल जाति नायक
4. नत्थुराम पुत्र चौथुराम जाति नायक

निवासीगण फतूही तह.व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थन जरिये तहसील श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र रजीराम
3. हरिसिंह पुत्र रजीराम
4. आत्माराम पुत्र रजीराम
5. राजकुमार पुत्र रजीराम

जाति जाट निवासी शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. मन्जू पुत्री साहबराम जाति जाट
7. सरस्वती पत्नी साहबराम जाति जाट
8. राजकुमार पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार
9. इमीलाल पुत्र साहबराम जाति जाट
10. ओमप्रकाश पुत्र साहबराम

निवासीगण शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध

विरूद्ध सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

दिनांक 30.09.2015

24/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री हंसराज तनेजा, अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

श्री अजायबसिंह ग्रेवाल, अभिभाषक रेस्पो सं. 2 से 7

श्री बलराम स्वामी, अभिभाषक रेस्पो. 8 से 10

निर्णय :— दिनांक :—24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 177 का पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी के नाम चक 1 एफ बडा के मु.न. 10 की 1.190 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के कि.न. 23 की 0.228 है. भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौका पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमुति सडके आवासीय मकान एवं प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है जो गैरकानूनी है। उक्त वाद पेश होने पर अधी.न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थीगण ने दिया एवं दावा खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये एवं सुनवाई के पश्चात दिनांक 30.09.2015 को उक्त भूमि में से 48X144 फिट भूमि को राजसात करते

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हुए उक्त भूमि राज्य हित में अधिग्रहित करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की क्रयशुदा है एवं अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया । विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपली पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का कृषि से गैर कृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा था । जिस पर तहसीलदार ने अधी.न्यायालय में दावा पेश किया है। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के पश्चात विवादित भूमि का रकबा राज करने के जो आदेश दिये है वे उचित है। अतः अपील खारिज की जावें ।

24/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है, उनका खंडन रेस्पो. ने नहीं किया हैं । ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध दिनांक 29.01.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने जबाव प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी0 न्यायालय द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की वजह रकबा राज के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है, अधीनस्थ्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण हाजा में कोई **mind apply** नहीं किया है यथा दावे की तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर होना बताया है जो नियमानुसार वादी सिद्ध कर पाया या नहीं विनिश्चय होना चाहिए था जबकि तनकी का विनिश्चय प्रतिवादी के पक्ष में होना अंकित किया है जो **Lack of legal knowledge** को दर्शाता है।

अपील मीमों से स्पष्ट है कि निर्णय में वर्णित सभी पक्षकारों को नहीं सुना गया तथा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग के नियम बने हुए है जो नहीं करवाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की धारा 90 ए की कार्यवाही अपेक्षित है। जो किये जाने के पश्चात harsh ~~stap~~ step उठाना चाहिए । अतः जो वादी (प्रकरण हाजा में रेस्पो.) का क्षेत्राधिकार था उसे **Invoke** क्यों नहीं किया, की वजह पत्रावली पर नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 30.09.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, R.A.S. राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर

1. सतीश कुमार S/o भागीरथ जाति कुम्हार निवासीगण फतूही तहसील व जिला *2. बनाम 1. स्टेट आफ राज० जरिये तहसील गंगानगर *2.

अपील नं. 81 सन् 2016 SUWR व नाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम श्रीगंगानगर मुवर्ख 30 माह 9 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 24 माह 7 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री हंसराज तनेजा Adv. मिनजानिब अपीलान्ट व श्री S.K. भाल सिंह सिद्धू G.A. श्री अजायबसिंह ग्रेयाल रेस्पोडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 30/9/15 निरस्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग —) रूपये — अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का — अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24 माह 7 2017 को जारी किया गया।

(मुहर: न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सत्यमेव जयते, श्रीगंगानगर)

हस्ताक्षर
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रुपये	पैसे	रेस्पोन्डेन्ट	रुपये	पैसे
1 स्टाम्प अपील			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 इजराय हुक्मनामा			3 इजराय हुक्मनामा		
4 वकील फीस बाबत			4 मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		

अपीलान्ट

*2. अशोक कुमार S/o हरीचन्द जाति अरोड़ा
3. सुआ देवी W/o सतपाल जाति नायक
4. नाथूराम S/o चौथूराम जाति नायक

निवासीगण फतूही तह व जिला-श्रीगंगानगर

रेस्पोंडेन्टान

*2. कृष्णलाल S/o रजीराम
3. हरिसिंह S/o रजीराम
4. आत्मा राम S/o रजीराम
5. राजकुमार S/o रजीराम
~~6. राजकुमार S/o रजीराम~~

→ जाति जाट निवासी शिवपुर तह व जिला श्रीगंगानगर

6. मन्जू D/o साहबराम जाति जाट
7. सरस्वती W/o साहबराम जाति जाट
8. राजकुमार S/o भागीरथ जाति कुम्हार
9. इन्द्रलाल S/o साहब राम जाति जाट
10 ओमप्रकाश S/o साहबराम

निवासी शिवपुर तह व जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)